

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271424
CG-DL-E-31032026-271424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 204]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 223(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के उप-नियम (4) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2026 के प्रारम्भ के पश्चात् नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के मामले में, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट कोई भी खनिज (ग्रेफाइट, फॉस्फेट और पोटैश को छोड़कर) धारा 15ख के अधीन यथा शामिल खनिज माना जाएगा और अधिनियम की अष्ट अनुसूची के अनुसार ऐसे खनिजों का नीलामी प्रीमियम देय नहीं होगा, यदि ऐसे सभी खनिजों के अनुमानित संसाधनों का मूल्य, ब्लॉक में सभी खनिजों के अनुमानित संसाधनों के कुल मूल्य की तुलना में दस प्रतिशत से कम है।”।

3. उक्त नियम के नियम 10 में,—

(क) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे भुगतान और निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर, राज्य सरकार के ऑनलाइन एकीकृत खनन पोर्टल के माध्यम से आशय-पत्र स्वतः ही जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद उप-नियम (2क) का कोई प्रभाव नहीं होगा।”

(ख) उपनियम (2क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(2ख) राज्य सरकार, अधिमानित बोली लगाने वाले को ब्लॉक के किनारे के किसी भाग को छोड़ने की अनुमति दे सकती है, जहां ऐसे भाग में खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा, ब्लॉक में खनिज संसाधनों की कुल अनुमानित मात्रा के पच्चीस प्रतिशत से कम है वहाँ ऐसे भाग में जंगल, वन्यजीव गलियारे, नदी, नाले, आवास या अवसंरचना इत्यादि जैसे मुद्दों के कारण खनन संभव नहीं है।”

(ग) उपनियम (3) के खंड (ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जहां खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2026 के प्रारम्भ होने के पश्चात् निविदा आमंत्रण सूचना जारी की जाती है, अग्रिम संदाय की दूसरी किस्त का भुगतान आशय पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा”;

(घ) उपनियम (6) में,—

(i) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह कि खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी जाएगी, यदि नियम 10क के उप-नियम (2) के अधीन बनाई गई समिति इस बात से संतुष्ट है कि अधिमानित बोली लगाने वाला ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम होगा और अधिमानित बोली लगाने वाले ने ऐसी अतिरिक्त अवधि की अनुमति देने से पहले ही अग्रिम संदाय की सभी तीन किस्तों का भुगतान कर दिया है।

परंतु यह भी कि जहां खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2026 के प्रारम्भ होने के पश्चात् निविदा आमंत्रण सूचना जारी की जाती है, तो दूसरा परंतुक केवल आंशिक या पूर्ण रूप से वन भूमि वाले ब्लॉकों के लिए ही लागू होगा।”

(ii) स्पष्टीकरण में, “जब्त कर ली जाएगी” शब्दों के पश्चात्, “और यदि उक्त समिति द्वारा अधिमानी बोलीदाता या सफल बोलीदाता के कारण के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से ब्लॉक में खनन असंभव हो जाता है और नीलामी रद्द हो जाती है, तो ऐसी प्रतिभूति और भुगतान नीलामी रद्द होने के अधिमानतः नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसे बोली लगाने वाले को वापस कर दिए जाएंगे।” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम 18 में,—

(क) उप-नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर राज्य सरकार की ओर से आशय पत्र ऑनलाइन एकीकृत खनन पोर्टल के माध्यम से स्वतः जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद उप-नियम (1ख) का कोई प्रभाव नहीं होगा।”;

(ख) उपनियम (3) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह कि पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन के लिए छह महीने की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी जाएगी, यदि नियम 18क के उप-नियम (2) के अधीन बनाई गई समिति इस बात से संतुष्ट है कि अधिमानित बोली लगाने वाला ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन के लिए सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम होगा।”

(ग) उपनियम (6) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और भी कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से, खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट अग्रिम संदाय और वर्धित निष्पादन प्रतिभूति की पहली किस्त प्राप्त होने पर, राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन एकीकृत खनन पोर्टल के माध्यम से आशय पत्र स्वतः ही जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद उप-नियम (6क) का कोई प्रभाव नहीं होगा।”

(घ) उपनियम (8) के खंड (ख) स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) अग्रिम संदाय का दूसरी किस्त संदत्त करता है;

परंतु जहां खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2026 के प्रारम्भ होने के पश्चात् निविदा आमंत्रण सूचना जारी की जाती है, वहां अग्रिम संदाय की दूसरी किस्त का भुगतान खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा”;

(ङ) उप नियम (9) में, “साठ प्रतिशत” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

5. उक्त नियम में, नियम 19छ के उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर राज्य सरकार की ओर से आशय पत्र ऑनलाइन एकीकृत खनन पोर्टल के माध्यम से स्वतः जारी कर दिया जाएगा।”

6. उक्त नियम के नियम 24 में,—

(i) उपनियम (2) में, “अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग घ या अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) उप नियम (6) में, “खनन पट्टे” शब्दों के पश्चात्, “या समेकित अनुज्ञप्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियम में, नियम 24 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“25. एकीकृत खनन पोर्टल—(1) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, इन नियमों के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने और इन नियमों में प्रयोजन के कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए एक ऑनलाइन एकीकृत खनन पोर्टल तैयार करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से इन नियमों में प्रयोजन के कार्यान्वयन और अनुपालन, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा केवल उक्त पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे:

परंतु केंद्रीय सरकार ऐसे पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूलों के कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग तारीख विनिर्दिष्ट कर सकेगी।”

[फा. सं. एम. VI-16/6/2026-खान VI]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 406(अ.) तारीख 20 मई, 2015 की द्वारा प्रकाशित किया गया था तिस बार संख्यांक सा.का.नि. 71(अ.) तारीख 29 जनवरी, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026.

G.S.R. 223(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules, in rule 8, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in case of mineral blocks auctioned after the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026, any mineral specified in Part D of the First Schedule of the Act (except Graphite, Phosphate and Potash) shall be considered as included mineral under section 15B and auction premium shall not be payable in respect of such mineral in accordance with the Eighth Schedule of the Act, if the value of estimated resources of all such minerals is less than ten per cent. as compared to the total value of estimated resources of all the minerals in the block.”.

3. In the said rules, in rule 10,—

(a) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that on and from the date specified by the Central Government, upon the receipt of such payment and performance security, the letter of intent shall automatically be issued through the online unified mining portal on behalf of the State Government and thereafter sub-rule (2A) shall have no effect.”;

(b) after sub-rule (2A), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(2B) The State Government may allow the preferred bidder for exclusion of a portion at an edge of the block where the estimated quantity of mineral resources in such portion is less than twenty-five per cent. of the total estimated quantity of mineral resources in the block for the reason that the mining in such portion is not feasible due to issues such as forest, wildlife corridor, river, nallah, habitation, or infrastructure and the like.”;

(c) in sub-rule (3), in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where a notice inviting tender is issued after the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026, the payment of the second instalment of the upfront payment shall be made within a period of one year from the date of issue of the letter of intent”;

(d) in sub-rule (6),—

(i) for the second proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—

“Provided further that a further period of two years for execution of the Mining Lease Deed shall be allowed if the committee made under sub-rule (2) of rule 10A, is satisfied that the preferred bidder shall be able to comply with all requirements for execution of the Mining Lease Deed within such extended period and the preferred bidder has paid all three instalments of the upfront amount before allowing such further period.

Provided also that where a notice inviting tender is issued after the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026, the second proviso shall only be applicable for the blocks containing forest land in part or full.”;

(ii) in the Explanation, after the words “shall be forfeited”, the words “, and in case of annulment of auction due to mining in the block is made impossible for the reasons not attributable to the preferred bidder or the successful bidder as decided by such committee, such security and payments shall be returned to such bidder preferably within a period of ninety days of such annulment” shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 18,—

(a) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that on and from the date specified by the Central Government, upon the receipt of such performance security, the letter of intent shall automatically be issued through the online unified mining portal on behalf of the State Government and thereafter, sub-rule (1B) shall have no effect.”;

(b) in sub-rule (3), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that a further period of six months for execution of the prospecting licence deed shall be allowed if the committee made under sub-rule (2) of rule 18A is satisfied that the preferred bidder shall be able to comply with all requirements for execution of the prospecting licence deed within such extended period.”;

(c) in sub-rule (6), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that on and from the date specified by the Central Government, upon the receipt of the first instalment of upfront amount and enhanced performance security as specified in clause (b), the letter of intent shall automatically be issued through the online unified mining portal on behalf of the State Government and thereafter, sub-rule (6A) shall have no effect.”;

(d) in sub-rule (8), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) pays the second instalments of the upfront payment:

Provided that where a notice inviting tender is issued after the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2026, the payment of the second instalment of the upfront payment shall be made within a period of one year from the date of issue of letter of intent for mining lease”;

(e) in sub-rule (9), the words “being sixty per cent.” shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 19G, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that on and from the date specified by the Central Government, upon the receipt of performance security, the letter of intent shall automatically be issued through the online unified mining portal on behalf of the State Government.”.

6. In the said rules, in rule 24,—

(i) in sub-rule (2), the words “specified in the Part D of the First Schedule of the Act or the Seventh Schedule of the Act” shall be omitted;

(ii) in sub-rule (6), after the words, “mining lease”, the words “or composite licence” shall be inserted.

7. In the said rules, after rule 24, the following rule shall be inserted, namely:—

“25. Unified mining portal: (1) The Central Government, in consultation with the State Government, shall prepare an online unified mining portal to carry out various purposes of these rules for implementation and compliance under these rules.

(2) On and from the date specified by the Central Government, the provisions of these rules shall be carried out by the Central Government or State Government only through the said portal:

Provided that the Central Government may specify different dates for implementation of different modules of such portal.”.

[F. No. M.VI-16/6/2026-Mines VI]

SHAKIL ALAM, Economic Advisor

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and was last amended, *vide* number G.S.R. 71(E), dated the 29th January, 2026.